राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3674/2024

अनु **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Chandgothi, ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरू।
5. विनोद कुमारी, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Chandgothi, ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.12.2024
आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विकास यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, ओआईसी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, चांदगोठी, ब्लॉक राजगढ, जिला चूरू में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये संविदा आधार पर चयनित कार्मिक के कारण अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया और सहायक अध्यापक (संविदा शिक्षक) को पदस्थापित किये जाने का निर्देश दिया गया। जबकि अपीलार्थी नियमित कार्मिक है। अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर हुई थी और रिक्त पद नहीं होने के बावजूद संविदा शिक्षक को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया। जबकि अपीलार्थी नियमित कार्मिक है और इस प्रकार अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 12.08.2024 से मातृत्व अवकाश पर है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है, फिर भी अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा स्थानांतरण किया गया है, जो सेवा नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024, 28.11.2024 एवं 14.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस कर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और अपील खारिज फरमाये जाने की प्रार्थना की।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, चांदगोठी, ब्लॉक राजगढ, जिला चूरू में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी एक नियमित कार्मिक है और अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये उसे स्थानांतरित किया गया

है। जबकि उसके स्थान पर संविदा आधार पर चयनित कार्मिक सहायक शिक्षक को पदस्थापित किया गया, परंतु यह भी सही है कि शिक्षा व्यवस्था को छात्रहित में सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं नियमों के अंतर्गत कार्मिकों को अधिशेष घोषित करते हुये उन्हें स्थानांतरण/पदस्थापन नियमानुसार किया जा रहा है। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 12.08.2024 से मातृत्व अवकाश पर होने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 12.08.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 12.08.2024 से मातृत्व अवकाश पर है और ऐसी स्थिति में हम विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष